

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 146वीं बैठक दिनांक
08 सितम्बर, 2011 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री राजीव अग्रवाल
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री आर0के0सिंह
संयुक्त सचिव
प्रतिनिधि-सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. श्री अनिल कुमार सागर
जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. श्री प्रताप सिंह भदौरिया
अपर नगर आयुक्त
प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ।
6. श्री एन0आर0वर्मा
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश।
7. श्री ज्ञानेन्द्र देव
अपर निदेशक
प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. श्री देवेन्द्र कुमार
मुख्य अभियन्ता
प्रतिनिधि-आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. श्री एल0एस0पी0सिंह
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी
प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. श्री मोविन्द पाण्डेय
मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
11. श्री राम कृष्ण यादव
मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
12. श्री सुरेश कुमार रावत
मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
- अन्य उपस्थिति :
13. श्री आनन्द कुमार सिंह
सचिव, ल0वि0प्रा0।
14. श्री संजीव सिन्हा
अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
15. श्री बी0आर0 चक्रवर्ती
वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
16. श्री एस0एन0 त्रिपाठी
मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
17. श्री इन्द्र विक्रम सिंह
संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
18. श्री आर0के0मिश्र
संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
19. श्री एस0के0सिंह
संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
20. श्री जे0एन0 रेड्डी
नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
21. श्री रवि जैन
नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित प्रक्रिया तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु तथा प्राइम लोकेशन चार्जज लिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 28

अत्यधिक पुराने तीन अदद वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम करने तथा दो अदद एम्बेस्डर कार एवं एक अदद स्कार्पियो जीप क्रय करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा तीन वाहनों यथा यू0पी0-32 जे-3778 (एम्बेस्डर), यू0एम0एल0-5343 (जिप्सी) तथा यू0वी0जे0-3510 (एम्बेस्डर) को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने तथा इनके स्थान पर दो अदद एम्बेस्डर कार पेट्रोल मॉडल (ग्रेन्ड 05) एवं एक अदद स्कार्पियो वाहन डीजल मॉडल (एम हाक) क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 29

गोमती नगर योजना फेज-2 के अन्तर्गत विकल्प खण्ड-3 में कठौता झील भाग-2 के पास रेलवे लाईन के समीप 24 मी0 चौड़ी सड़क के सामने उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0 एवं ग्रुप हाउसिंग भवनों का निर्माण कार्य।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना फेज-2 के अन्तर्गत विकल्प खण्ड-3 में कठौता झील भाग-2 के पास रेलवे लाईन के समीप 24 मी0 चौड़ी सड़क के सामने उपलब्ध लगभग 20650.00 वर्गमीटर भूमि पर 192 ई0डब्ल्यू0एस0, 176 एल0आई0जी0 एवं 184 दो बेडरूम के भवन (ग्रुप हाउसिंग भवनों) के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 30

ग्राम-जियामरु, लखनरु में प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी भूमि पर 05 सितारा होटल-कम-कामर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति पर कराये जाने पर विचार।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासनादेश सं0-723/आठ-3-2011-37विविध/2011 दिनांक 28.02.11 के आलोक में ग्राम जियामरु, लखनरु में प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर 05 सितारा होटल-कम-व्यावसायिक केन्द्र के निर्माण की परियोजना का क्रियावन्धन पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने तथा परियोजना के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बिड मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित की गई शर्तों व प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने तथा रिजर्व प्राइस प्राधिकरण द्वारा

विषय संख्या : 42

शासन की निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति) के अन्तर्गत मे० ओमेक्स लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर०/ले-आउट (121.762 एकड़) को कतिपय प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत करने के संबंध में विचार।

निर्णय :

बैठक में अवगत कराया गया कि हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विस्तृत विन्यास मानचित्र के अनुमोदन हेतु 60 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व विकासकर्ता के पक्ष में होना आवश्यक है। वर्तमान प्रस्ताव में ग्राम समाज की भूमि को जोड़ते हुए विकासकर्ता द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण होना अवशेष है, इस हेतु विकासकर्ता द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करायी जा चुकी है। ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण शासन की नीति में प्राविधानित है। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासन की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे० ओमेक्स लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर०/ले-आउट पर तकनीकी समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबंधों की पूर्ति होने एवं पुनर्ग्रहण अथवा कय के माध्यम से आवश्यक भू-स्वामित्व प्राप्त होने के उपरान्त डी०पी०आर०/ले-आउट को निर्गत किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव

(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।